प्रारूप—1.6(A)

Annexure-I

**FORM-I**

(for linear Projects)

**Government of Uttarakhand**

Office of the District Collector, Pithoragarh

***********

No ...62.........

Dated 04/06/2020

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter Dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.020 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Didihat** for **Road** in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Tilari, Dubtar & Sera Sunali** Villages(s) in **Didihat** tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **3.020 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ............

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

**Encls**.: As Above.

जिलाधिकारी
**District Collector**
पिथौरागढ़

प्रारूप–1.6(B)

Annexure-II

**FORM-II**

(for linear Projects)

**Government of Uttarakhand**

Office of the District Collector, Pithoragarh

***********

No ..62..........                                                                 Dated .04/06/2020

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **3.020 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Didihat** for **Road** in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Tilari, Dubtar & Sera Sunali** Villages(s) in **Didihat** tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **3.020 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .............

(b) The proposal for such diversion (with full details fo the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the propose diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Tilari, Dubtar & Sera Sunali** Village(s) is enclosed as annexure ...............

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

**Encls**.: As Above.

जिलाधिकारी,

**District Collector**

प्रारूप–1.6(C)

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
# DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss Dr. Vijay Kumar Jogdandey I.A.S. deputy commissioner Pithoragarh on dated 04/06/2020 at time 11:30 A.M. at Pithoragarh in which application claiming rights in **Tilari, Dubtar & Sera Sunali** area measuring **3.020** hect for the construction of **Tilari to Sera Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Didihat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pithoragarh

Dated: 04/06/2020

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रारुप—30.2

# परियोजना का नामः— तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.250 किमी0)

## कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
## अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र
## जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.250 किमी0) में (3.020 हे0 राज्य भूमि) अर्थात कुल 3.020 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (जिला पिथौरागढ) की दिनांक 04/06/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डा० विजय कुमार जोगदण्डे जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री डा० विजय कुमार जोगदण्डे, जिलाधिकारी, पिथौरागढ, अध्यक्ष

2— श्री डा० विनय भार्गव, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ, सदस्य

3— श्री डा० विद्यासागर कापड़ी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ, सदस्य/सचिव

4— (1) श्रीमती गंगोत्री दताल, जिला पंचायत सदस्य, सदस्य
(2) श्री सुरेश जेठा, जिला पंचायत सदस्य, सदस्य
(3) श्रीमती पुष्पा देवी, जिला पंचायत सदस्य, सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तिलाडी से सेरा मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.250 किमी0) परियोजना हेतु 3.020 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तिलाडी से सेरा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.250 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 3.020 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

श्रीमती गंगोत्री दताल
सदस्य जिला पंचायत
मेतली (पिथौरागढ़)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद पिथौरागढ़

पुष्पा देवी
जिला पंचायत सदस्य
09 मेतली, पिथौरागढ़

सदस्य
जिला पंचायत खेला 02
पिथौरागढ़

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

# प्रारूप—1.6(D)

परियोजना का नामः— तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी0)

## कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडीहाट
## अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र
## उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडीहाट

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत **तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग (लम्बाई 6.250 किमी0) में (3.020 हे0 राज्य भूमि) अर्थात कुल 3.020 हे0 वन भूमि** का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील—डीडीहाट) की दिनांक 24/07/2020 ........... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के. एन. गोस्वामी ..............., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री के. एन. गोस्वामी ..........., उपजिलाधिकारी, डीडीहाट, अध्यक्ष

2— श्री एन. सी. पन्त ..........., उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट, सदस्य (प्रतिनिधि लवराज सिंह, वन क्षेत्राधिकारी डीडीहाट)

3— श्री कु. रेखा सेठी ..........., सहायक समाज कल्याण अधिकारी, डीडीहाट, सदस्य / सचिव

4— श्रीमती भागीरथी देवी ..........., बी0डी0सी0 क्षेत्र तिलाड़ी .......... सदस्य Bhagirathi 24/07/2020

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत **तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग (लम्बाई 6.250 किमी0) परियोजना हेतु 3.020 हे0 वन भूमि** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत **तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग (लम्बाई 6.250 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 3.020 हे0 वन भूमि** प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड

## प्रारूप–1.6(D)

परियोजना का नामः– तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी0)

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – तिलाड़ी

तहसील–डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत **तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (राज्य भूमि 3.020 हे0) अर्थात कुल 3.020 हे0 वन भूमि** का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत– तिलाड़ी द्वारा दिनांक 07/02/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम–तिलाड़ी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

| | | |
|---|---|---|
| ह0/–<br>ग्राम सचिव<br>मुहर सहित | ग्राम पंचायत विकास अधिकारी<br>क्षेत्र ....तिलाड़ी/ईस्ट डीडीहाट....<br>विकास खण्ड<br>जिला | ह0/–<br>ग्राम प्रधान/सरपंच<br>मुहर सहित |

Attested copy.

सहायक अभियन्ता<br>प्रा० ख० लो० नि० वि०<br>डीडीहाट (पिथौरागढ़)

प्रधान<br>ग्राम पंचायत- तिलाड़ी<br>(पिथौरागढ़)

## प्रारूप–1.6(D)

परियोजना का नाम:– तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – दुबतड़

तहसील–डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत **तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (राज्य भूमि 3.020 हे0) अर्थात कुल 3.020 हे0 वन भूमि** का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत– तिलाड़ी द्वारा दिनांक 07/02/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम–सेरा सुनाली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र तिलाड़ी
विकास खण्ड
जिला

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत- तिलाड़ी
वि0ख0- डीडीहाट (पिथौरागढ़)

Attested copy

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
डीडीहाट (पिथौरागढ़)
JE

## प्रारूप–1.6(D)

परियोजना का नाम:– तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी0)

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – सेरा सुनाली

तहसील–डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्ताराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत **तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (राज्य भूमि 3.020 हे0) अर्थात कुल 3.020 हे0 वन भूमि** का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत– तिलाड़ी द्वारा दिनांक 07/02/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम–सेरा सुनाली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ......तिलाड़ी......
विकास खण्ड ..........
जिला

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत– सेरा सुनाली
प्रधान
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

प्रधान
ग्राम पंचायत– तिलाड़ी
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

Attested copy

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

JE

# प्रारूप–1.6(F)

परियोजना का नाम:– तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी0)

दिनांक 7/2/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – तिलाड़ी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | पूरन सिंह बोरा | पूरन सिंह |
| 2 | गोविन्द सिंह बोरा | गोविन्द सिंह |
| 3 | जीवन सिंह बोरा | Jeevan |
| 4 | चन्द्र सिंह बोरा | चन्द्र सिंह |
| 5 | विमला देवी | विमला देवी |
| 6 | छत्र सिंह | छत्र सिंह |
| 7 | होशियार सिंह | होशियार सिंह |
| 8 | कल्याण सिंह | कल्याण |
| 9 | जोध सिंह | जोध |
| 10 | उमेद सिंह | उमेद सिंह |
| 11 | मदन सिंह | मदन सिंह |
| 12 | हरीश राम | हरीश राम |
| 13 | महेश राम | महेश राम |
| 14 | नन्दन सिंह | [signature] |
| 15 | चन्द्र सिंह | [signature] |
| 16 | मनोज कुमार सिंह | [signature] |
| 17 | चिन्तामणी | चिन्तामणी |
| 18 | श्याम सिंह | [signature] |
| 19 | नरेन्द्र सिंह | Narendra |
| 20 | त्रिलोक सिंह | [signature] |
| 21 | प्रेमा देवी | प्रेम |
| 22 | विजय सिंह बोरा | विजय बोरा |
| 23 | ~~अर्जुन~~ अर्जुन राम | अर्जुन राम |
| 24 | | |
| 25 | | |

Attested copy

[signature]
सहायक अभियन्ता
लो० नि० वि०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)
[signature]
JE

Narendra
प्रधान
ग्राम पंचायत तिलाड़ी
[illegible] डीडीहाट (पिथौरागढ़)

## प्रारूप–1.6(F)

परियोजना का नामः– तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी0)

दिनांक 7/2/11 ........ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – दुबतड़

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | मनोज सिंह | मनोज सिंह |
| 2 | पूरन सिंह | [illegible] |
| 3 | दान सिंह | दान सिंह |
| 4 | हरीश सिंह | [illegible] |
| 5 | भागुली देवी | भागुली देवी |
| 6 | कल्याण राम | कल्याण राम |
| 7 | राजेन्द्र सिंह | [illegible] |
| 8 | महिमन सिंह | Mahiman |
| 9 | पदम सिंह | पदम सिंह |
| 10 | जीवन सिंह | [illegible] |
| 11 | गोपाल सिंह | [illegible] |
| 12 | मदन सिंह | [illegible] |
| 13 | राजेन्द्र सिंह | Rajen |
| 14 | घनश्याम | घनश्याम |
| 15 | दयाकिशन | दयाकिशन |
| 16 | नरेन्द्र सिंह | नरेन्द्र सिंह |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

Attested copy

सहायक अभियन्ता
ग्रा० नि० लो० नि० वि०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)
JE

Narendra
प्रधान
ग्राम पंचायत- तिलाड़ी
वि०ख०- डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ह0 /–
ग्राम प्रधान

# प्रारूप–1.6(F)

परियोजना का नामः– तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी0)

दिनांक ....7/4/19........ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत – सेरा सुनाली

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | कल्याण सिंह कन्याल | कन्याल |
| 2 | आनन्द सिंह कन्याल | [illegible] |
| 3 | कुशल सिंह कन्याल | [illegible] |
| 4 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 5 | भीम सिंह | भीम सिंह |
| 6 | नरेन्द्र सिंह कन्याल | [illegible] |
| 7 | ज्ञान सिंह कन्याल | [illegible] |
| 8 | भुपेन्द्र सिंह कन्याल | [illegible] |
| 9 | गोपेश कन्याल | गोपेश कन्याल |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

Attested copy.

प्रधान
ग्राम पंचायत- तिलाड़ी
वि0ख0- डीडीहाट (पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता
ग्रा0 अ0 लो0 नि0 वि0
डीडीहाट (पिथौरागढ़)
JE

ह0
ग्राम पंचायत सेरा सोनाली
प्रधान
डीडीहाट (पिथौरागढ़)